केस स्टडी-19/2025

जारी तिथि : 29.05.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 13.05.2025 को, उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीजन में चंडीगढ़ और घग्घर स्टेशनों के बीच लाइट इंजन नंबर 60293/WAG12B/NGP, कार्य करते समय, कर्मीदल द्वारा मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 120-B (इंजीनियरिंग इंटरलॉक्ड गेट) के गेट सिग्नल को 19:31 बजे **'ऑन' स्थिति में 72 KMPH** की गति से पार कर, लगभग 400 मीटर आगे जाकर रुकी। जबकि गेट सड़क यातायात के लिए खुला था। निरिक्षणोपरांत पता चला कि **लोको पायलट ने SA9 ब्रेक नहीं लगाया** और उसकी जगह A-9 ब्रेक और रि-जेनरेटिव ब्रेक लगाया।

Click for Video

संभावित कारण :

- लोको पायलट द्वारा गेट डिस्टेंट सिग्नल, जो एक पीला था, उसे नजर अंदाज़ कर, गाड़ी की गति को 90 किलोमीटर प्रति घंटे बनाये रखना।
- लोको पायलट द्वारा WAG-12 लाइट इंजन कार्य करते समय A-9 ब्रेक व रि-जेनरेटिव ब्रेक पर भरोसा करना, SA9 ब्रेक का समय पर न लगना।
- गेट डिस्टेंट एक पीला दिखने पर भी सहायक लोको पायलट द्वारा RS वाल्व पर हाथ न रखना व समय पर RS वाल्व न खोलना।

उपरोक्त घटना से सबक :-

- ध्यान रहें कि WAG-12 लोको लाइट इंजन कार्य करते समय यदि लोको की गति 10 Kmph से अधिक है तो A-9 ब्रेक एप्लाई करने पर लोको पर
- रि-जेनरेटिव ब्रेक आने के कारण लोको ब्रेक नहीं आतें हैं, इसलिए लोको को रोकने हेतु हमेशा SA-9 ब्रेक का ही उपयोग करें।
- लाइट इंजन कार्य करते समय लोको पायलट लाल सिग्नल के पास पहुँचते समय पर्याप्त दुरी से, केवल SA-9 ब्रेक का ही इस्तेमाल करें, रि-जेनरेटिव ब्रेक के भरोसे ना रहें एक पीला सिग्नल दिखाई देने पर कर्मीदल को अन्य किसी गतिविधियों में अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए।
- जब भी गाड़ी पीले सिग्नल से गुजरे, तो लोको पायलट को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए तथा अगले स्टॉप सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा।
- लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-एक बार, डबल पीला- दो बार, एक पीला-तीन बार व लाल- चार बार।
- सिग्नल एक पीला दिखने पर सहायक लोको पायलट खड़े होकर RS वाल्व पर लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकने तक हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।

(नि खल संह)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।